

**जेडीए के ज़ोन 12 में भूमाफियाओं द्वारा
कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!**



भाग-1

"बीएस वाटिका"
अजमेर रोड, वाटिका इन्फोटेक सिटी के पास स्थित कृषि
पर बसायी जा रही है यह अवैध कॉलोनी!!!

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

श्रीमू 3 महीने पहले

f t e



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया, जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ।

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही

कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

मनमानी के सामने शायद यह

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है।

गृह निर्माण सहकारियों सामंतीयों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वयंसेवा शासन एवं आवासन मंत्री शक्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संपादित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल है। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दशाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसे के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सवत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

जेडीए के ज़ोन 12 मे वाटिका इन्फोटेक सिटी,अजमेर रोड के पास स्थित कृषि भूमि पर बसायी जा रही है अवैध कॉलोनी "बीएस वाटिका"

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा जोरों पर है।इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 12 भी है,जहां ताबडतोड अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है।जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नही लग पा रही है।आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों मे एक नाम और शुमार हो गया है जिस स्कीम का नाम बीएस वाटिका है।उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी " बीएस वाटिका" बसायी जा रही है।

सोसाइटी के फर्जी पट्टे से काटी जा रही है यह अवैध कॉलोनी "बीएस वाटिका"

सूत्रों के अनुसार इस स्कीम के अंतरगत 83 प्लॉट काटे जाएंगे,जिन्हे प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,जयपुर(रेजिस्ट्रेशन संख्या 225/L) के पट्टे बांटे जाएंगे।जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,जयपुर के नाम से कोई सहकारी समिति पंजीकृत नहीं है।जिससे सिद्ध होता है कि बीएस वाटिका नाम की यह स्कीम पूर्णतया अवैध है।इस अवैध कॉलोनी मे करीब 83 से अधिक प्लॉटो को उपभोक्ताओं को बेच भी दिये गए है और कई भूखंडो पर निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है।


कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी 4 कॉलोनियां अवैध निर्माण हटाए, विला भी किए ध्वस्त



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को चार अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की। 28.5 बीघा में ये कॉलोनियां बसाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। सभी कार्रवाई ज़ोन-12 में हुई। मुंडिया रामसर रोड, सिवार फाटक के पास 20 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर सिवार सिटी नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां ग्रेवल की सड़कें व अन्य निर्माण कार्य चल रहा था। कार्रवाई के

दौरान सभी को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा निवारू रोड स्थित लालचंदपुरा में पांच बीघा भूमि पर बसंत विहार-सी में कार्रवाई की। कॉलोनी में अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था। यहां नौ विला बनाने का काम चल रहा था। निर्माणाधीन विला भी कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिए गए। कालवाड़ रोड पर ही 1.5 बीघा भूमि पर और पार्थ सिटी के पीछे दो बीघा भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनियों के निर्माण भी ध्वस्त किए गए।




भूमाफियाओ द्वारा प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर (रेजिस्ट्रेशन संख्या 225/L) के तहत बीएस वाटिका नाम की स्कीम को काटना बताया गया है।

बीएस वाटिका का नक्शा, जिसके तहत 83 प्लॉट काटे गए हैं।



बीएस वाटिका में बनाए जा रहे मकानों का एलिवेशन



जेडीए की अधिकृत वेबसाइट पर प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है।

जेडीए पहले भी दो बार कर चुका है, ऐसी ही एक अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी" को ध्वस्त

आपको बता दें कि जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले पस्त होने की बजाय बुलंद होते जा रहे हैं, तभी तो जेडीए के ज़ोन-11 में स्थित ऐसी ही एक कॉलोनी को जेडीए प्रवर्तन द्वारा महज दो महीनों में दो बार ध्वस्त किया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद भू-माफिया द्वारा पुनः काम शुरू कर दिया जाता है।



अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त



जयपुर. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने ज़ोन-11 के जयसिंहपुरा में कार्रवाई की। यहां नौ बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। चार फरवरी को भी जेडीए ने इस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की थी। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि कमला रेजीडेंसी के नाम से नई कॉलोनी को विकसित किया जा रहा था। यहां ग्रेवल की सड़कें, बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण कर लिए थे। दो मकान भी बनाए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी को ध्वस्त कर दिया गया।



मौके पर चल रहे निर्माण कार्य



मौके पर बन चुकी सड़के



मौके पर करवाया जा रहा
विकास





मौके पर बन रहे मकान और
की जा रही प्लोटिंग





मौके पर बन रहे मकान और
की जा रही प्लोटिंग



जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है प्रेम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
4. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
5. अब तक बीएस वाटिका मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
6. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
7. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?
8. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-12 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
9. क्या जेडीए के इस ज़ोन – 12 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
10. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
11. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
12. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

